53

मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 15 निगरानी

A510-2585-III/15

प्रदीपकुमार आत्मज् श्री जतनमलजी चौपड़ा, आयु 44 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–56, जवाहर मार्ग, जावद, जिला नीमच ....प्रार्थी

---विरूद्ध---

1. मदनलाल आत्मज् बद्रीलालजी सोनी, आयु 70 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–बेगनपुरा, जावद, जिला नीमच

2– मुकेश आत्मज् मदनलाल सोनी, आयु 40 वर्ष, धंधा–व्यापार, निवासी–बेगनपुरा, जावद, जिला नीमच

3. दीपिका पत्नि मुकेश सोनी, आयु 38 वर्ष, धंधा–गृहकार्य, निवासी–बेगनपुरा, जावद, जिला नीमच ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय -- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड जावद द्वारा वरिष्ठ शिकायत प्रकरण क्रमांक 07/2015 में पारित आदेश दिनांक 30–07–2015 के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

:: भूमिका ::

1:– यह कि प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध एक शिकायत आवेदन–पत्र इस आशय का माननीय जिलाधीश महोदय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया था कि प्रतिप्रार्थीगण जावद में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1951/2, 1968/1 व 1969/1 का नाप अपने स्वत्व लेख रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रों से जानबूझकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अधिक बताकर उस आधार पर गलत जानकारी देकर मौके पर जावद नीमच रोड़ पर 60 फीट की चौड़ाई के स्थान पर 66 फीट चौड़ी का कृषि से भिन्न आशय का, जो डायवर्शन कराया है, उसे निरस्त किया जाने बाबत् प्रस्तुत किया था, जो माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा जांच के लिए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जावद के समक्ष प्रेषित किया, तदोपरान्त अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा शिकायती प्रकरण कायम किया और प्रतिप्रार्थीगण को सूचना–पत्र जारी किए।

Contd....2

प्रदीप कुमार / मदन लाल आदि

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक.......2585–तीन/2015 निगरानी ....जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२९/1/16	आवेदक व्दारा अनावेदकगण के विरूद्ध कलेक्टर नीमच को इस आशय का शिकायती आवेदन दिया गया कि अनावेदकगण ने जावद नगर स्थित भूमि सर्वे नंबर 1951/2, 1968/1, 1969/1 के विकय पत्रों में हेरफेर करके 60 फुट चौड़ी भूमि को 66 फुट चौड़ी कर लिया। कलेक्टर नीमच ने शिकायती आवेदन जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी जावद को दिया जिस पर पक्षकारों जॉच करके प्रतिवेदन कमांक 57/बी–121/ 15–16 दिनांक 30.11.2015 प्रस्तुत किया गया। इसी जॉच प्रतिवेदन का दिनॉक 30–7–15 लिखते हुये यह निगरानी आवेदक व्दारा प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक ने प्रार्थना पत्र दिनांक 19–1–16 प्रस्तुत करते हुये 30–7–15 के स्थान 30–11–15 सुधार का आग्रह किया है तथा इसी दिन दूसरा आवेदन व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निगरानी वापिस लिये जाने की मांग की है, जिस पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना गया । 4/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि उन्होंने	

प्रदीप कुमार / मदनलाल आदि

R-2585-III/15 नीमच

21/1/16	अनुविभागीय अधिकारी जावद के अंतिम निर्णय के विरूद्ध पुनः निगरानी प्रस्तुत की है इसलिये वह अंतरिम आदेश के लिये की गई इस निगरानी को वापिस लेना चाहते हैं अनावेदक के अभिभाषक ने आवेदन दिया तथा तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रारंभ किये गये शिकायत की जांच कार्यवाही पर निगरानी ग्राह्य-योग्य नहीं है इसलिये निगरानी वापिस लिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। उनके व्दारा पूर्व में लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं। पिछली पांच पेशियों पर अनावेदक मंदसौर से आ रहे हैं उनके कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है एंव आने-आने आदि पर खर्चा हुआ है इसलिये 40,000/-रू. कास्त लगाई जाय। 5/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा शिकायत की जांच प्रारंभ करने की कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई । विगत पेशी पर अनावेदक के अभिभाषक व्दारा तर्क प्रस्तुत करते समय निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। विगत पेशी पर अनावेदक के अभिभाषक व्दारा यह जानकारी दी गई थी कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा शिकायती जांच प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन भेजा जा चुका है तथा सम्बन्धित अभिलेख मुख्यालय ग्वालियर भेजा चुका है इसके बावजूद आवेदक अभिभाषक व्दारा पुनः तर्क हेतु समय मांगा गया। दिनांक 19-1-16 को आवेदक अभिभाषक व्दारा निगरानी वापिस लेने का आवेदन दिया। राजस्व अधिकारियों व्दारा की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाहियों के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानी ग्राह्य एंव प्रचलनयोग्य नहीं है। अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य है कि	

प्रदीप कुमार / मदन लाल आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक .....2585–तीन / 2015 निगरानी जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में बार–बार समय मांगने तथा अंत में निगरानी वापिस लेने का आवेदनदिया, जिसके करण अनावेदक को अत्यन्त परेशानी हुई है एवं न्यायालय का समय भी व्यर्थ हुआ है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक पर रूपये 5000 / – शब्दो में रूपये (पांच हजार) की कास्ट लगाई जाती है एवं निगरानी निरस्त की जाती है। अध्यक्ष सदस्य	